वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 01.04.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, जनसंदेश टाइम्स," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 01.04.2025

मंडलीय कार्यालय के लिए 20 करोड़ जारी

मंडलीय कमिश्नरी कार्यालय के लिए शासन से हरी झंडी मिल गई है। निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपये मिल गए हैं। दस मंजिला इमारत में 59 कार्यालय को स्थानांतरित किया जाएगा। इसका निर्माण वीडीए कराएगा।

अमर उजाला–दि0 01.04.2025

वीडीए की हेल्पडेस्क हुई हाईटेक

वाराणसी। वीडीए की हेल्पडेस्क को हाईटेक बनाया गया है। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर यहां सभी कार्य पेपरलेस कर दिया गया है। फाइलों के तामझाम को दूर कर अब ऑफिस को डिजिटलाइज किया गया है। यहां एक क्लिक में फाइलों की पूरी डिटेल कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देती है।

वीडीए के डिजिटलाइजेशन का काम पूरा होने के बाद फाइलों की पेंडेसी खत्म हो गई है। पहले चरण में पुराने दस्तावेजों को एक साथ किया गया है। सभी को स्कैन और फिर फाइलों को जनरेट किया जा रहा है। वीडीए ऑफिस न सिर्फ पूरी तरह पेपरलेस है बल्कि ऑफिस के काम काज का सिस्टम भी पूरी तरह बदल गया है। जिन फाइलों को ढूंढने में कर्मचारी और बाबू को घंटों समय लगता था। उन फाइलों की जानकारी एक क्लिक पर मिल रही है। इससे मैनपॉवर के साथ समय की बचत हो रही है। साथ ही तय समय में काम पूरा हो रहा है। ब्यूरो

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

जनसंदेश टाइम्स–दि0 01.04.2025

अवैध निर्माण पर सख्त वीडीए

दशाश्वमेध वार्ड में की सील की कार्रवाई

जनसंदेश न्यूज

वाराणसी। शहर में अवैध निर्माण पर इन दिनों वीडीए सख्त है। विभाग की टीम जहां अलग- अलग वार्डों में अभियान चला रही है,वही ऐसे निर्माण को सील कर कार्रवाई भी कर रही है। इसको लेकर वीडीए की टीम लावलश्कर के संग अचानक दशाश्वमेध वार्ड में पहुंचा।

जहां जोन -3 की प्रवर्तन टीम ने वार्ड के नई सड़क स्थित महाबीर कटरा में सरफ़राज द्वारा बिना स्वीकृत मानचित्र पास कराये निर्माण कार्य कराए जाने को देखा और उस पर रोक लगा दी। इस दौरान टीम ने लगभग 1500 स्कायर फीट में विना नक्शा स्वीकृति ही निर्माण कराए जाने पर सील की सख्त कार्रवाई किया।

इस अवसर जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति,अवर अभियंता रविन्द्र प्रकाश लोग उपस्थित रहे ।